मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 121/2025

1. कृष्ण कुमार पुत्र भंवर लाल जाति जाट निवासी 12 एम.डबल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

बनाम

1. भंवराराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी 12 एम. डबल्यू. एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. संतोष पत्नी भंवर लाल पुत्र पतराम जाति जाट निवासी 12 एम. डबल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रूमना कुमारी पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी 12 एम. डबल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. रीटा पत्नी विनोद कुमार पुत्री भंवर लाल जाति जाट निवासी नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. रानी पत्नी सुरेन्द्र पुत्री भंवर लाल जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. बिन्दु पत्नी रविन्द्र पुत्री भंवर लाल जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा। हनुमानगढ़

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 04/08/2025

वादी की ओर से श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर [illegible] के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर लोक आदालत की भावना से राजस्थान [illegible] अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का [illegible]

(क) वादी (कृष्ण कुमार) को तहसील पीलीबंगा के चक [illegible] एम.डबल्यू. एम. के खाता संख्या 12/18 के प.नं. 115/367(22) के किला नं. 1 ता 25 [illegible] 6.325 हैक. व प. नं. [illegible] (23) किला नं. 1/1/0.031, 2/1/0.032 की 0.063 हैक. इसप्रकार कुल रकबा 6.388 हैक. कमाण्ड मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/2 हिस्सा मे से 1.265 हैक. कमाण्ड का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:46:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादी संख्या 3(रूमना कुमारी) को तहसील पीलीबंगा के चक 12 एम. डबल्यू. एम. के खाता संख्या 12/18 के प.नं. 115/367(22) के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक. व प.नं. 115/368 (23) किला नं. 1/1/0.031, 2/1/0.032 की 0.063 हैक. इसप्रकार कुल रकबा 6.388 हैक. कमाण्ड मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/2 हिस्सा मे से 1.265 हैक. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कृषि भूमि शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी /बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 04/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:46:30 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा